

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 23.05.2011

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली.110 003

विषय : सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण और संपर्क ।

महोदय,


निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी तथा उनके सहयोगी श्री ब्रिजेश कुमार द्वारा आपके कार्यालय का दिनांक 19.05.2011 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया । इस अवसर पर श्री टी.प्रेमनाथ (कार्यकारी निदेशक), श्री आर.एस.मेकर (महाप्रबंधक, प्रशासन), श्रीमती ज्योतिकिरण कोहली (प्रबंधक), श्री एन.बालचन्द्रन (प्रबंधक), श्री एस.के. उपाध्याय (प्रबंधक), श्रीमती एस. मीनाक्षी (प्रबंधक), श्रीमती रोजलिंग जोसफ (सहायक महाप्रबंधक), श्री वेद प्रकाश (सहायक महाप्रबंधक), श्रीमती एलिजबेथ सेबस्टियन (सहायक महाप्रबंधक), श्री लाल सिंह (सहायक प्रबंधक), श्री आर.डी. विश्वकर्मा (सहायक प्रबंधक) सुश्री प्रीति आर्य (पर्यवेक्षक, वित्त) तथा राजभाषा एकक के अधिकारीगण यथा श्री राजेन्द्र प्रसाद (उप महाप्रबंधक), श्री संजय कुमार गुप्ता (प्रबंधक) तथा श्रीमती नरिन्द्र कौर (प्रबंधक), के साथ चर्चा हुई और यादृच्छिक तौर पर मेडिकल अनुभाग, कंपनी लीज. अनुभाग, अग्रिम अनुभाग, स्टोर अनुभाग, मानव संसाधन अनुभाग, विभागीय प्रौद्योगिकी समिति अनुभाग, कार्मिक अनुभाग, स्थापना अनुभाग, वित्त अनुभाग का निरीक्षण किया गया और इन अनुभागों में तैनात कार्मिकों के साथ राजभाषा की स्थिति पर चर्चा की गई । निरीक्षण के दौरान जो बिन्दु उभरकर आए वे इस प्रकार हैं:-

1. अभी 15 कार्मिकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है तथा 19 कार्मिकों को हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान नहीं है तथा 21 कार्मिकों को हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान नहीं है । इन सभी कार्मिकों को रोस्टरबद्ध तरीके से अपेक्षित प्रशिक्षण दिलाया जाना जरूरी है ।
2. धारा 3 (3) का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है और पत्राचार में लगभग 60 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है । पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जांच बिन्दुओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ।
3. अधिकांश अनुभागों में फाइलों पर विषय द्विभाषी लिखे हुए पाए गए हैं तथा उनमें कार्य भी काफी मात्रा में हिन्दी में हो रहा है । इस संदर्भ में मेडिकल अनुभाग, मानव संसाधन अनुभाग प्रशंसा के पात्र हैं । कंपनी लीज. अनुभाग तथा स्टोर अनुभाग में कार्य काफी मात्रा में अंग्रेजी में हो रहा है तथा इन अनुभागों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार गृह निर्माण अग्रिम का कार्य भी अंग्रेजी में हो रहा है । वित्त अनुभाग में हिन्दी में कार्य करने की शुरुआत हो गई है तथा सुश्री प्रीति आर्य द्वारा नोटिंग कार्य तथा उससे जुड़े पत्र हिन्दी में भेजे जा रहे हैं ।

4. प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं और उनमें लिए गए निर्णयों का पालन भी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है ।
5. सभी मानक मसौदे द्विभाषी रूप में उपलब्ध है । मोहरें भी द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं ।
6. वर्ष (2010-2011) के दौरान 3,02,906 रुपये की पुस्तकें खरीदी गईं जिनमें से हिन्दी पुस्तकें और 1,46,778 रुपये व्यय किए गए । कृपया, भविष्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिन्दी पुस्तकों पर व्यय सुनिश्चित किया जाए ।
7. कार्मिकों को 12.09.2008 को नियम 8 (4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है । कृपया, स्थिति की पुनः समीक्षा करा ली जाए और जो कार्मिक नए आए हैं और जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है उन्हें नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश देकर विनिर्दिष्ट कर दिया जाए ।
8. सेवा पंजियों में प्रविष्टियां मिली-जुली भाषा में हो रही हैं । आम तौर पर प्रयोग होने वाली प्रविष्टियों की मोहरें बनवा कर उनका प्रयोग करने से इस दिशा में कुछ बढोतरी हो सकती है ।

कृपया, उपर्युक्त के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट दो महीने के भीतर मंत्रालय को भिजवाई जाए ।

भवदीय,



(टेक चन्द मंगला)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि: फा.सं. ई 11013/6/2011-रा.भा.